फाइल नं0-71-3099/14/2020-03-

83/2022/I/165598/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 12 मई, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच हेतु जी0एस0टी0 की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-43/2022/ई-2024893/71-3099/14/2020-03-, दिनांक 08.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 के रूप में जमा की गयी धनराशि रू0 1200.00 लाख (रू0 बारह करोड़ मात्र) अवमुक्त की गयी है।

2- कालान्तर में उक्त शासनादेश दिनांक 08.03.2022 को संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या-63/2022/65/71-3099/14/2020-03-, दिनांक 30.03.2022 द्वारा रू0 1200.00 लाख के स्थान पर रू0 144.79 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है प्रश्नगत प्रकरण में महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 1055.21 लाख (रू0 दस करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार मात्र)** की धनराशि इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि प्रधानाचार्य एवं वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बहराइच द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा वास्तविक रूप से जमा की गयी है एवं जमा की गयी धनराशि का रिफण्ड उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,55,21,000 (रुपये दस करोड़ पचपन लाख इक्कीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शीर्षक 4210031058925 पांच जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना मानक मद 24 -वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, स्वीशासी राज्या चिकित्साउ महाविद्यालय, बहराइच।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7. वित्त् (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।